						परिशिष्ट–अ
	पार	गनहार द्वारा अनाथ ब <u>च</u> ्च	ग्रों के पालन	ı—पोषण करने का	प्रमाण पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती				निम्न अनाथ ब	ाच्चों को अपने परिवार [ः]	में रखकर स्वयं की
संतान की भांति पारिवारिक माहौल में पालन—पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे है:-						
क्र. सं.	अनाथ बालक / बालिका का नाम	माता / पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा / आंगनवाडी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे है
(हस्ताक्षर) (सरपंच, ग्राम पंचायत / प्रधान, पंचायत समिति / वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)						
कार्यालय का पताः						
दूरभाष / मोबाईल न0 : मोहर :						
अथवा	, जिनके माता–पिता की मृत्यु जिनकी विधवा माता ने विधिव जानी है।		यिक प्रक्रिय	ा द्वारा मृत्युदण्ड,	/आजीवन कारावास से	 दण्डित किए गए हो

	विद्यालय में अध	व्ययनरत हो	ने का प्रमाण पत्र		परिशिष्ट–ब	
कार्यालय (शिक्षण संस्था का नाम) :						
क्रमांक :	·				दिनांक :	
	ल्ला गंडा के विकॉर्जा	na Dua f	वेटाणी जा विट	uzzy di al lertur		
प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्डानुसार निम्न विद्यार्थी इस विद्यालय में शैक्षणिक सत्रमें नियमित रूप से अध्ययनरत था / है :–						
क्र. विद्यार्थी का नाम सं.	माता / पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	शिक्षण संस्था में पंजीयन / नामांकन संख्या एवं दिनांक	
(हस्ताक्षर) शिक्षण संस्था प्रधान जारीकर्ता का नाम : विद्यालय का पताः दूरभाष / मोबाईल न० : मोहर :						
परिशिष्ट—ब 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत न होने की स्थिति में आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र आंगनवाडी केन्द्र का नाम :						
क्रमांक :					दिनांक :	
प्रमाणित किया जाता है कि आंगनवाडी केन्द्र के रिकॉर्डानुसार निम्न बालक / बालिका इस आंगनवाडी केन्द्र में सत्र में नामांकित / पंजीकृत था / है :						
क्र.सं. बालक / बालिका का न	गम माता / पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि		केन्द्र में पंजीयन / नामांकन ांख्या एवं दिनांक	
(हस्ताक्षर) आंगनवाडी कार्यकर्ता जारीकर्ता का नाम : केन्द्र का पता: दूरभाष / मोबाईल न0 : मोहर :						

परिशिष्ट—स नगरीय क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट						
क्रमांक : दिनांक :						
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/ जयपुर, दिनांक						
क्र.सं. संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि				
यह रिपोर्ट आज दिनांक को जारी की जाती है।						
(हस्ताक्षर) वार्ड मेम्बर / पार्षद जारीकर्ता का नाम : जारीकर मोहर : मोहर :	(हस्ताक्षर) पटवारी र्जा नाम :					
नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र (उपरोक्त तीनों की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा)						
कार्यालय का नाम :						
क्रमांक :		दिनांक :				
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/ जयपुर, दिनांक के अनुसरण में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती						
पुरूष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:–						
क्र.सं. संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि				
यह प्रमाण पत्र की गई अनुशंषा के आधार पर आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।						
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जारीकर्ता का नाम : मोहर :						

परिशिष्ट—स ग्रामीण क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट						
क्रमांक :		दिनांक :				
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/ जयपुर, दिनांक						
क्र.सं. संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि				
यह रिपोर्ट आज दिनांक को जारी	की जाती है।					
(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) ग्राम सचिव पटवारी जारीकर्ता का नाम : जारीकर्ता का नाम : मोहर : मोहर :						
	वाली माताओं की संतान हेतु <u>।</u> गर पर उपखण्ड अधिकारी द्वार					
(उपराक्त १९५१ट के आधा	·	,				
क्रमांक :						
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (3) (1)/पालनहार/सान्याअवि/15/ जयपुर, दिनांक						
क्र.सं. संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि				
पह प्रमाण पत्र की गई अनुशंषा के आधार पर आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।						
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जारीकर्ता का नाम : मोहर :						